न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी	:	सिद्धांत शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	82/2021
सी.आई.एस. नंबर	:	82/2021
सी.एन.आर. नंबर	:	RJBR110001432021
निर्णय दिनांक	:	16.07.2026

अपराध अर्न्तगत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता

PART-I
(A)

परिवादी	राजस्थान राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।
अभियुक्तगण	1. अंकित पुत्र महावीर, आयु 27 वर्ष, निवासी शिव कॉलोनी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. 2. बालकिशन उर्फ गोलू पुत्र महावीर, आयु 29 वर्ष, निवासी शिव कॉलोनी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश शर्मा, अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित।

(B)

अपराध की दिनांक	18.02.2020
एफ.आई.आर. की दिनांक	19.02.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	08.02.2021
आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक	अभियुक्तगण अंकित एवं बालकिशन उर्फ गोलू, दिनांक 08.02.2021
सुनवायी की दिनांक	10.04.2021
निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक	16.07.2026
निर्णय सुनाये जाने की दिनांक	16.07.2026
दंडादेश, यदि हो तो –	–

(C)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बितायी अवधि
1.	अंकित	–	–	341, 323, 427, सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	निर्णय की मद संख्या 18. में वर्णित	–
2.	बालकिशन उर्फ गोलू	–	–		दोषमुक्त		–

PART-II
साक्षियों की सूची :– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी –

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	शाहिद खान	धारा 161 सीआर.पी.सी. का एवं घटनास्थल का नक्शा मौका का गवाह
2.	जावेद खान	धारा 161 सीआर.पी.सी. का एवं घटनास्थल का नक्शा मौका का गवाह
3.	मोहनलाल	धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह
4.	डॉ. अशोक कुमार	आहत की एम.एल.सी. मेडीकल मुआयना रिपोर्ट का गवाह
5.	लालबहादुर सिंह	संपूर्ण हालात तफ्तीश एवं अनुसंधान का गवाह

(B) बचाव साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति **(EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)**
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति **(EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)**
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्रदर्श पी. 1	फर्द घटनास्थल नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 1
02.	प्रदर्श पी. 2	पुलिस बयान शाहिद खान प्रदर्श पी. 2
03.	प्रदर्श पी. 3	पुलिस बयान जावेद खान प्रदर्श पी. 3
04.	प्रदर्श पी. 4	पुलिस बयान मोहनलाल प्रदर्श पी. 4
05.	प्रदर्श पी. 5	आहत बृजेश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5
06.	प्रदर्श पी. 6	हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 6

(B) बचाव प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
– निल –		

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –

कम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का कमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर कमांक एवं वर्णन
– निल –			

:: निर्णय ::

दिनांकः 16.07.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'दिनांक 19.02.2020 को फरियादी बृजेश कुमार पुत्र रामेश्वर, निवासी मौजा बम्बोरी, अंता ने रात्रि समय 12.10 ए.एम. पर उपस्थित पुलिस थाना अंता होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 18.02.2020 को समय करीब 09 बजे की बात है। वह, खाना खाने नहर वाले ढ़ाबे, मोहन के ढ़ाबे पर खाना खाने जा रहा था, ज्योंही वह, नहर के पास पहुँचा तो उसे, वहाँ पर गोलू पुत्र महावीर एवं अंकित पुत्र महावीर मिला एवं उनके साथ दो लड़के भी थे, जिनका नाम वह नहीं जानता है। गोलू ने उससे कहा कि तूने, उसके पिताजी से रड़ी की बात करने के लिये क्यों कहा तो उसने कहा कि उसने, इस तरह की कोई बात नहीं की है तो उसको आड़े फिरकर, गोलू एवं अंकित ने रोक लिया। गोलू ने उसकी दायी आँख के भौंह के

उपर चाकू से मारी एवं अंकित ने धार जैसे हथियार की बायें आँख के उपर मारी, जिससे उसके खून निकल आया एवं उनके साथ दो और अन्य व्यक्ति थे, जिन्होंने, बृजेश के साथ, लात घूसों से मारपीट की। मौके पर शाहिद खान था, जिसने उसका बीच बचाव कराया। उसकी जेब में 17,325/—रूपये एवं एक मोबाईल टेकनो कंपनी का था। झगडे में उसकी जेब भी फट गयी थी, जिससे उसके पैसे भी कहीं पर गिर गये थे एवं उन लोगों ने, उसके मोबाइल को पैरों के नीचे दबाकर तोड़ दिया था। कार्यवाही की जावें।' इत्यादि

2. उक्त हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां द्वारा मुकदमा नंबर 87/2020, अंतर्गत धारा 341, 323, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना अंता द्वारा, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी जाकर, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने, आरोपों को सुन समझकर, आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में, अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में, गवाहान पी.ड. 01 शाहिद खान, पी.ड. 02 जावेद खान, पी.ड. 03 मोहनलाल, पी.ड. 04 डॉ. अशोक कुमार, पी.ड. 05 लालबहादुर सिंह को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, फर्द घटनास्थल नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 1, पुलिस बयान शाहिद खान प्रदर्श पी. 2, पुलिस बयान जावेद खान प्रदर्श पी. 3, पुलिस बयान मोहनलाल प्रदर्श पी. 4, आहत बृजेश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5, हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 6 को प्रदर्शित कराया गया।

5. अभियुक्तगण के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन के गवाहान के बयानों को गलत होना एवं झूठा फंसाया जाने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने, साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर नहीं किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई समाप्त की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :—

1. क्या अभियुक्तगण अंकित एवं बालकिशन उर्फ गोलू द्वारा, दिनांक 18.02.2020 को समय करीब नौ बजे, स्थान मौजा बम्बोरी, अंता में स्थित नहर के पास वाले मोहन ढ़ाबे पर, स्वैच्छयापूर्वक परिवादी/ आहत बृजेश कुमार को, उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, मार्ग अवरूद्ध कर, उसे, उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने का वह अधिकारी था ? साथ ही क्या उक्त अभियुक्तगण द्वारा, स्वेच्छयापूर्वक कुन्दालय से मारपीट कर, परिवादी/आहत बृजेश कुमार के शरीर पर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी तथा परिवादी के मोबाईल को पैरों के नीचे दबाकर, उसको तोड़ कर, पचास रूपये से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान कारित कर, रिष्टी कारित की गयी ? इस

प्रकार, अभियुक्तगण अंकित एवं बालकिशन उर्फ गोलू द्वारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 427 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया ?

2. यदि हॉ, तो अभियुक्तगण के विरूद्ध उचित दंड क्या होगा ?

8. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में, दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का यह कथन रहा हैं कि प्रकरण में अभियोजन कहानी से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतया साबित है। प्रकरण में गवाहान के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। प्रकरण में सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोपित धारा में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

9. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा, अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खंडन करते हुये, इसके विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्यतः यह कथन रहा है कि प्रकरण वर्ष 2021 से लंबित है। प्रकरण में अभियुक्तगण पिछले पॉच वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे है। प्रकरण में परिवादी तथा परीक्षित अन्य गवाहान के द्वारा भी अभियोजन कहानी की लेशमात्र ताईद नहीं की गयी है। प्रकरण में परिवादी पक्ष द्व ारा, द्वेष में आकर उक्त प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में गवाहान के बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में किसी भी गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखी है। प्रकरण में हितबद्ध गवाहान न्यायालय समक्ष परीक्षित हुये है। प्रकरण में किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावें।

10. बहस अन्तिम सुनी गई। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार है :–

11. अभियोजन वृतांत के अनुसार, अभियुक्तगण अंकित एवं बालकिशन उर्फ गोलू द्वारा, दिनांक 18.02.2020 को समय करीब नौ बजे, स्थान मौजा बम्बोरी, अंता में स्थित नहर के पास वाले मोहन ढ़ाबे पर स्वैच्छयापूर्वक परिवादी/आहत बृजेश कुमार को, उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, मार्ग अवरूद्ध कर, उसे, उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने का वह अधिकारी था। साथ ही उक्त अभियुक्तगण द्वारा, स्वेच्छयापूर्वक कुन्दालय से मारपीट कर, परिवादी/आहत बृजेश कुमार के शरीर पर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी तथा परिवादी के मोबाईल को पैरों के नीचे दबाकर, उसको तोड़ कर, पचास रूपये से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान कारित कर, रिष्टी कारित की गयी। इस प्रकार, अभियुक्तगण अंकित एवं बालकिशन उर्फ गोलू द्वारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 427 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया।

12. उक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का पूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में, हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन द्वारा, परिवादी/आहत बृजेश कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण, उक्त गवाह को न्यायालय समक्ष परीक्षित नहीं कराया जा सका। प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 05 गवाहान को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित घटना का महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाह पी.ड. 01 शाहिद खान, जो कि अभियोजन द्वारा

न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने न्यायालय समक्ष अपने बयानों में, **घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है।**

दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी, **गवाह ने, पुलिस बयान प्रदर्श पी. 02 का खंडन किया है तथा स्वयं के घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होने का कथन किया है।**

13. इसी क्रम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहान पी.ड. 02 जावेद खान एवं पी.ड. 03 मोहनलाल, जो कि अभियोजन द्वारा न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुये है, जिन्होनें न्यायालय समक्ष अपने बयानों में, **घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है।**

दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी, **गवाह ने, पुलिस बयानात प्रदर्श पी. 03 एवं प्रदर्श पी. 04 का खंडन किया है तथा स्वयं के घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होने का कथन किया है।**

14. हस्तगत प्रकरण में, आहत के शरीर पर आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति के संबंध में, अभियोजन द्वारा डॉ. अशोक कुमार को गवाह पी.ड. 04 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 19.02.2020 को सी.एच. सी. अंता में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, आहत बृजेश कुमार के शरीर पर आयी चोट के संबंध में तैयार, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 05 की ताईद की गयी है।

15. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी लालबहादुर सिंह को अभियोजन द्वारा गवाह पी.ड. 05 के रूप में न्यायालय समक्ष परिक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 19.02.2020 को पुलिस थाना अंता में हैड कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, प्रकरण में उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुये, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 01 एवं तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 06 की ताईद की गयी है एवं गवाह द्वारा बाद अनुसंधान, अभियुक्तगण अंकित एवं बालकिशन उर्फ गोलू के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पूर्णतया प्रमाणित पाया गया।

16. न्यायालय के विनम्र मत में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में, स्वीकृत रूप से, अभियोजन द्वारा, परिवादी/आहत बृजेश कुमार के बयान, उसकी मृत्यु के चलते, न्यायालय समक्ष लेखबद्ध नहीं कराये जा सकें। हस्तगत प्रकरण में, परिवादी/आहत, अत्यंत महत्वपूर्ण गवाह था, जो कि उसके साथ हुयी, घटना की पुष्टि कर सकता था। प्रकरण में एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह पी. ड. 01 शाहिद खान है, जो कि अभियोजन द्वारा न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने न्यायालय समक्ष अपने बयानों में, **उसके सामने कोई घटना घटित होते हुये नहीं देखे जाने का तथा घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है। उक्त गवाह ने, पुलिस बयान प्रदर्श पी. 02 का भी खंडन किया है। इस प्रकार, उक्त गवाह द्वारा, अभियोजन वृतांत का लेशमात्र भी समर्थन नहीं कर, उक्त घटना की ताईद नहीं की गयी।** प्रकरण में, किसी भी गवाह ने, अभियुक्तगण द्वारा, परिवादी/आहत बृजेश का सदोष अवरोध कारित कर, उसके साथ स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर, उसके शरीर पर साधारण उपहतियां कारित की हो तथा परिवादी के मोबाईल के साथ तोड़ फोड़ कर रिष्टि कारित की हो, इस संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है। अतः इन परिस्थितियों में, अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः ऐसे में, अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 341, 323, 427

सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में, उनके विरूद्ध अवलंब नहीं लिया जाकर, उनको दोषी नहीं माना जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन/अनुसंधान अधिकारी द्वारा, अभियुक्तगण से किसी प्रकार का कोई कुंद हथियार जप्त नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सकें कि अभियुक्तगण द्व ारा, फरियादी के साथ, स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर, उपहतियां कारित की गयी हो तथा फरियादी के मोबाईल के साथ तोड़ फोड़ कर रिष्टि कारित की गयी हो। अतः ऐसे में, अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना पर, अभियुक्त पक्ष, संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है। अतः ऐसे में, जबकि अभियोजन वृतांत में वर्णित घ ाटना में प्रथमदृष्ट्या संदेह हो, तब न्यायालय के विनम्र मत में, अभियुक्तगण को दोषी नहीं माना जा सकता है।

17. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण, आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घ ोषित किये जाने योग्य है।

:: <u>आदेश</u> ::

18. अतः अभियुक्तगण 1. अंकित पुत्र महावीर, आयु 27 वर्ष, निवासी शिव कॉलोनी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. तथा 2. बालकिशन उर्फ गोलू पुत्र महावीर, आयु 29 वर्ष, निवासी शिव कॉलोनी, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19. अभियुक्तगण के पूर्व में पेश नियमित हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

20. प्रत्येक अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय समक्ष पेश कर तस्दीक करावें, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

21. निर्णय आज दिनांक 16.07.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर, न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)